



बिहार सरकार

Nov. 2024



# सूचना प्रावैधिकी विभाग

## बिहार सरकार



सूचना प्रावैधिकी विभाग  
तथा  
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग  
बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

- इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के संस्थानों में अध्ययनरत युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान किया गया ताकि उन्हें सभी प्रकार के विकास संबंधी कार्यों/घटनाओं/शोधों/अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके।
  - इस योजना के तहत कुल 321 संस्थानों में वाई-फाई अधिष्ठापित एवं संचालित किया गया। वाई-फाई का उपयोग करने के लिए कुल निबंधित 8,41,152 उपयोगकर्ताओं में से 11,994 के द्वारा वाई-फाई का उपयोग किया गया।
  - टेक्नोलॉजी भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित बिहार रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन्टरनेट-डाटा सेंटर (BRAIN-DC) को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य-कर विभाग के VAT-MIS तथा वित्त विभाग का कम्प्यूटराईज्ड ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम (CTMIS) को संचालित करना था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सॉफ्टवेयर/वेबसाइट को होस्ट किये जाने की व्यवस्था की गयी।
  - पूर्व से संचालित BSWAN परियोजना की अवधि समाप्ति के पश्चात् Next Gen Bihar State Wide Area BSWAN - II (2015-2020) के लिए 313.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। इस नेटवर्क का इंटीग्रेशन भारत सरकार के सुरक्षित नेटवर्क NICNET से भी किया गया।
  - सचिवालय के सभी भवनों को सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये Sec.LAN 2.0 परियोजना में कुल 52 भवन एवं 17,319 लैन नोड अधिष्ठापित किया गया।
  - Sec LAN WI-FI परियोजना के माध्यम से पूरे सचिवालय परिसर को वाई-फाई जोन में परिवर्तित किया गया। राज्य सरकार के कुल 13 मुख्यालय भवनों के साथ-साथ नवनिर्मित परिसरों में कनेक्टिविटी प्रदान की गयी एवं 4600 नोड्स राज्य सरकार के सभी विभागों में लगाया गया।
  - आम नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल सर्विस डिलिवरी गेटवे के माध्यम से सभी विभागों को SMS सेवाएं उपलब्ध कराया गया।
  - केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के महत्वकांक्षी परियोजना सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली को दिनांक-01.04.2019 से लागू किया गया है। इसके द्वारा राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपर लेस हो गया है।
- CFMS लागू हो जाने के बाद बजट निर्माण, आवंटन तथा प्रत्यर्पण का कार्य CFMS हो गया है। समय आवंटन उपलब्ध होने से भुगतान ससमय हो रहा है। सरकारी कार्यालयों को कोषागार से राशि निकासी हेतु कोषागार नहीं जाना पड़ रहा है। पेपर लेस विपत्र तैयारी के कारण कागज की खपत में कमी आयी है। कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाईन हो गया है।
- CFMS के द्वारा सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kuber Portal के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी कर्मियों, संवेदकों एवं वेंडरों को बिना कार्यालय गये उनके खाते में भुगतान हो रहा है तथा उनके मोबाईल पर एस0एम0एस0 से सूचना भी प्राप्त हो रही है, जिससे पारदर्शिता की वृद्धि हो रही है।

- सरकार का समस्त कर राजस्व ई-रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue and Accounting Management System (O-GRAS) कार्यरत है, इसके लिए ई-कोषागार की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा करदाता एवं आम आदमी कहीं से और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शोध, विकास एवं उपयोग हेतु अग्रणी/प्रमुख संस्थान के रूप में जानी जाती है। पटना में भी प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक) की स्थापना की गयी।
- बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र के PG-DAC (डिप्लोमा कोर्स) एवं विभिन्न सर्टिफाईड वेब कोर्सेस में प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक) के माध्यम से दो शहरों यथा: गया एवं पटना में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने की सक्षमता हासिल हो सकेगा।
- बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 का अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में केन्द्र सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन एण्ड मैनुफैक्चरिंग (ESDM) इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गयी।
- राज्य के सभी पंचायतों को इंटरनेट सम्बद्धता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने हेतु डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क/ भारत नेट योजना का क्रियान्वयन किया गया।
- राज्य सरकार के द्वारा सर्विस प्लस फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक सेवा उपलब्ध करने हेतु कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग आवेदन लेने एवं सेवा प्रदान करने में किया जा रहा था। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य पूरी बैक-एंड प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने का है, जो कि पेपरलेस कार्यालय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।
- वर्तमान में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं सहित विभिन्न विभागों के 65 एप्लिकेशन इस प्रणाली के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने के क्रम में सही लाभुकों की पहचान करने में आधार एक नवीन एवं प्रभावी माध्यम है। इसका उपयोग कर न सिर्फ लाभुकों की सही पहचान की जा सकती है बल्कि बिना किसी मध्यस्थ के सीधे सेवा अथवा लाभ प्रदान किया जा सकता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा पहल करते हुए अपना निबंधन आधार सर्विस एजेंसी के रूप में UIDAI से कराया गया है। इससे कोई भी विभाग इस सेवा का लाभ उठा कर आधार डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान कर सकता है।

- यह सुविधा निःशुल्क रूप से सभी सरकारी विभागों को उपलब्ध है, जिसका डाटा सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा संधारित किया जाता है।
- स्टार्ट-अप के माध्यम से राज्य में आई0 टी0 के प्रक्षेत्र में राज्य के उद्यमियों को निवेश एवं प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक कदम उठाये गये। पटना के बिस्कोमान टॉवर के विभिन्न मंजिलों में नवाचार को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
- ### वर्ष 2020 से अबतक
- आधुनिक तकनीक पर आधारित स्टेट डाटा सेन्टर का निर्माण किया गया है जिसे ISO:270001 सर्टिफिकेशन प्राप्त है तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से नए SDC 2-0 (State Data Centre-2.0) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।
  - बिहार क्लाउड परियोजना अन्तर्गत डाटा सेन्टर का क्लाउड निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया।
  - सहज तकनीक योजना के रूप में एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिसका उपयोग कर कोई भी नागरिक सरकार के द्वारा क्रियान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु अपनी पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में न सिर्फ जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि सरलतापूर्वक कतिपय प्रश्नों के माध्यम से आवेदन भी समर्पित कर सकता है।
  - बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत राज्य के युवाओं को आई0टी0 प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 171 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया।
  - Land & Assets Development अन्तर्गत राज्य में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 एवं ई0एस0डी0एम0 प्रक्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसम्पतियों का विकास, आवंटन एवं आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव का कार्य, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 पटना के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया।
  - फॉरेंसिक के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास का लाभ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को प्रदान करने के उद्देश्य से पटना में सी-डैक के माध्यम से पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर विथ आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस बेस्ड नॉलेज सपोर्ट टूल्स" योजना क्रियान्वित की गयी है।
  - राज्य में आईटी कंपनियों एवं स्टार्टअप से ऑफिस स्थल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) पटना का विस्तारीकरण किया गया।
  - बिहार आई0टी0 पॉलिसी, 2024 लागू किया गया। इसमें निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था है। इसका मूल उद्देश्य आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एण्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश एवं इसके माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना है।

## सूचना प्रावैधिकी विभाग

बिहार का **चहुंमुखी विकास** हो तथा बिहार अपनी **समृद्ध विरासत एवं गौरवपूर्ण पहचान के साथ अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान मजबूत** कर सके, इसके लिए **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व** में राज्य सरकार द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि बिहार में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा जीवट क्षमता के साथ मौजूद युवाओं की ऊर्जा को एक दिशा देकर **विकास की नई ऊंचाइयों** तक पहुंचा जा सकता है।

वर्ष 2005 में बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी। संसाधनों एवं आधारभूत संरचनाओं के अभाव में राज्य की जिम्मेवारी संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। श्री नीतीश कुमार जी ने सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से एक बेहतर कार्ययोजना के अंतर्गत काम करना शुरू किया। विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास के साथ राज्य में **सूचना एवं प्रावैधिकी** के विकास की दिशा में भी कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

बिहार में वर्ष 2007 में सूचना प्रावैधिकी विभाग का गठन हुआ। सूचना प्रावैधिकी से संबंधित सभी विषयों में नीति निर्धारण किया गया। कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देने तथा सरकारी कामकाज में कंप्यूटर के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। संचार नेटवर्क की स्थापना, संचार प्रावैधिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन को तैयार करने के साथ ही बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की स्थापना जैसे प्रयासों के साथ इस प्रक्षेत्र के विकास का कार्य शुरू किया गया।

सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा नागरिकों को ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। ई-सेवाओं के क्षेत्र में सशक्त पहल प्रारंभ करते हुए आई0टी0 आधारित आधारभूत संरचनाओं के विकास, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाओं को प्रदान करने हेतु आवश्यक नीति एवं प्रणाली के निर्माण, सूचना प्रावैधिकी के प्रचार-प्रसार, आई0टी0 प्रक्षेत्र में कौशल विकास तथा आई0टी0 आधारित उद्योग एवं व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

## वर्ष 2005 से 2010

- राज्य में ई-गवर्नेंस की व्यवस्था लागू की गयी।
- राज्य, जिला एवं प्रखंड के कार्यालयों को संचारतंत्र से जोड़ने हेतु बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) प्रारंभ की गयी। इसके तहत राज्य मुख्यालय, जिला एवं प्रखंड स्तर के कार्यालयों के बीच डाटा, संवाद एवं वीडियो कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गयी ताकि सरकार की दक्षता को बढ़ाया जा सके।
- राज्य के सभी प्रमंडलों एवं प्रमुख जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ा गया।
- सचिवालय के सभी भवनों मुख्य सचिवालय, नया सचिवालय, सिंचाई भवन, सूचना भवन, विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलॉजी भवन, मुख्यमंत्री

कार्यालय आदि को Local Area Network के माध्यम से जोड़ दिया गया। इसके माध्यम से सचिवालय में माननीय मंत्रियों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समेकित रूप से डाटा, संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ई-मेल आदि की सुविधा प्रदान की गई।

- प्रत्येक पंचायत में लोक-निजी भागीदारी के तहत ई-सेवा केन्द्र (वसुधा) स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गयी। इनके माध्यम से विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी सेवाएं एवं सूचना दिये जाने तथा विभिन्न प्रमाण पत्र, मिट्टी जांच, मौसम का पूर्वानुमान, बिलों का भुगतान, रेलवे टिकट, इंटरनेट, ई-मेल, आदि की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।
- नालन्दा, औरंगाबाद एवं मधुबनी में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पायलट के रूप में क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों के कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू की गयी, ताकि वसुधा ई-केन्द्रों के माध्यम से जनहित में लोक सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
- सभी तरह के डाटाबेसों को सुरक्षित रखने के लिये टेक्नोलॉजी भवन में 10 टेराबाइट क्षमता वाले अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना की गई।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से 53 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गयी।
- इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ई-ऑफिस योजना (इन्टिग्रेटेड वर्कफ्लो एण्ड डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) प्रारंभ की गयी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचिकाओं का निष्पादन, संचिकाओं को एक स्तर से दूसरे स्तर एवं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भेजे जाने की व्यवस्था है। सभी महत्वपूर्ण परिपत्र, नीति, अधिनियम, परिनियम आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर रखे जाने की व्यवस्था की गयी ताकि सरकारी कार्यों के निष्पादन की दक्षता में सुधार के साथ-साथ संचिकाओं का आसानी से ट्रैकिंग किया जा सके।
- वाणिज्य कर विभाग के सभी अंचलों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु VAT MIS (वैल्यू एडेड टैक्स मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम) लागू किया गया। इसके तहत व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से निबंधन कराने, वाणिज्य कर का भुगतान करने, तथा रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गयी।
- बिहार में देश में पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फोन पर आवेदन देने की सुविधा की शुरुआत की गयी। भारत सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा भी इस योजना का अनुकरण किया गया।
- पटना में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस दिये जाने की शुरुआत की गयी।
- राज्य के सभी निबन्धन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया, जिसके तहत कुछ ही घंटों में हाथों-हाथ निबन्धन की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा निबन्धित अभिलेख की प्रति शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIIT) एवं टेलीडाटा के माध्यम से राज्य के 1000 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (प्रति विद्यालय 10 कम्प्यूटर) की स्थापना की गयी।
- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत मजदूरों की उपस्थिति एवं किये गये कार्य की मापी के आधार पर मजदूरी के भुगतान के लिये स्मार्ट कार्ड

आधारित महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी। इससे मजदूरों को ससमय मजदूरी मिलने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों में अनियमितताओं को भी दूर किया जाना सम्भव हो पाया।

- मुद्रित गैजेट के अतिरिक्त ई-गैजेट का भी प्रावधान किया गया।
- राज्य में शिक्षित तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवकों को बाजारोमुखी सूचना प्रावैधिकी कौशल में प्रशिक्षण हेतु बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की गयी। अग्रणी सॉफ्टवेयर कम्पनियों यथा-ऑरेकल कॉरपोरेशन, आई.बी.एम., माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि से सम्पर्क कर ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ किया गया।
- ई-क्रय प्रणाली योजना पायलट रूप में प्रारंभ की गयी जिसके तहत 25 लाख रुपये से अधिक के लागत की निविदाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किये जाने का प्रावधान किया गया। यह प्रणाली कुछ विभागों यथा- पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बेल्ट्रॉन में लागू किया गया।

## वर्ष 2010 से 2015

- राज्य में आई0टी0 के क्षेत्र में बैंगलोर तथा हैदराबाद जैसे साईबर सिटी के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 बनायी गयी। यह नीति चार खण्डों यथा- उद्योगों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, सरकार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति एवं नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति के रूप में प्रतिपादित की गयी।
- बिहार में सूचना प्रावैधिकी प्रक्षेत्र में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2014 में आई0टी0 रोड मैप का निरूपण किया गया। इसके तहत पटना में विश्व स्तरीय आई0टी0 टावर, बिहटा में आई0टी0 पार्क और राजगीर में आई0टी0 सिटी के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिस्कोमान भवन स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उन्नयन, निःशुल्क वाई-फाई हॉट स्पॉट, 100 सीट वाले आई0टी0 इंक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना, स्वायत्तशासी एंजल फंड के गठन का निर्णय लिया गया।
- सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (SECLAN) के माध्यम से राज्य के सभी सचिवालय भवनों को आपस में BSWAN एवं डाटा सेंटर से जोड़ा गया।
- ई-शासन कार्यक्रम के तहत फोकानिया एवं फाजिल स्तर तक संचालित कुल 188 मदरसा एवं वास्तानियाँ स्तर तक संचालित कुल 76 मदरसा अर्थात् कुल 264 मदरसों में 28.24 करोड़ रुपये की लागत से छात्रों के कम्प्यूटर उपयोग की शिक्षा हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।
- राज्य द्वारा लागू बिहार लिटिगेशन पॉलिसी में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महाधिवक्ता कार्यालय पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया गया और इसके लिए पूरे कार्यालय में लोकल एरिया नेटवर्किंग के साथ-साथ इसे SECLAN के साथ सम्बद्धता प्रदान कर दी गई ताकि राज्य सरकार से संबंधित दायर मुकदमों के बारे में विभिन्न विभागों को त्वरित सूचना प्राप्त हो सके एवं इसमें राज्य सरकार का पक्ष भी सुगमता एवं त्वरित रूप से

न्यायालय के समक्ष रखा जा सके।

- राज्य सूचना आयोग का कार्यालय पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया गया। आयोग में दायर मुकदमों की ऑनलाईन लिस्टिंग प्रारंभ की गयी, जिससे मुकदमों में सुनवाई की तिथि तथा पारित आदेश से संबंधित सूचना पक्षकार द्वारा घर बैठे ऑनलाईन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगारोमुखी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर प्रमाणक सर्टिफिकेट देने एवं आम लोगों में सूचना प्रावैधिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से बिहार नॉलेज सोसाइटी का गठन किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों/कृषकों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन से संबंधित आवेदन-पत्रों को वसुधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन समर्पित करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
- राज्य सरकार के द्वारा नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) (Ex-DOEACC Society 1/2) को ई-गवर्नेंस आधारित प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से बिस्कोमान में अस्थायी रूप से स्थल की सुविधा दी गयी। बिहार सरकार द्वारा बिहटा में 15 एकड़ दी गई भूमि में संस्थान का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा इस संस्थान द्वारा वर्तमान में विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- पटना शहर के सगुना मोड़ से एन0आई0टी0, पटना (अशोक राजपथ) तक कुल 20 किलोमीटर के क्षेत्र में वाई-फाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ की गयी। यह सुविधा वर्ष 2014 से 2017 तक उपलब्ध करायी गयी।
- ई-गवर्नेंस की सफलता को देखते हुए बिहार को वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों यथा: (i) CSI Nihilent के द्वारा BEST e-Governance State Award] (ii) बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली (BPGRS) के सफल क्रियान्वयन हेतु Web-Ratna Silver Award] (iii) i-Bhugoal Project के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा National e-Governance Gold Award in Best I.T Intervention Project से सम्मानित किया गया।

## वर्ष 2015 से 2020

- राज्य की राजधानी पटना के डाकबंगला चैराहा स्थित विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय की भूमि पर आई0टी0 टॉवर अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया।
- आई0टी0 प्रक्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु बिस्कोमान भवन के 9वीं एवं 13वीं मंजिल पर इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गयी। इस इन्क्यूबेशन सेंटर में 31 स्टार्ट-अप कम्पनियों को निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराया गया।
- 7 निश्चय से संबंधित **‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’** निश्चय के अंतर्गत सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया।